

केन्द्रीय विद्यालय संगठन  
(प्रशासन-1 अनुभाग)


भारत सरकार के अनुपालन में उनके परिपत्र संख्या F.No.20 / 1/2018-Pg (केंद्र -1) / DARPG (C.No.6060) दिनांक 10.04.2020 डॉ. शची कांत, संयुक्त आयुक्त (कार्मिक) को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) के कार्यालय आदेश दिनांक 21.05.2020 के तहत डॉ. वी. विजयालक्ष्मी, संयुक्त आयुक्त (प्रशा0) को उनके स्वयं के कर्तव्यों/कार्यों के अलावा संयुक्त आयुक्त (कार्मिक) की सभी जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।

तदनुसार, कोविड -19 लोक शिकायतों से निपटने के लिए नोडल अधिकारी का विवरण केवीएस वेबसाइट पर निम्नानुसार अपलोड किया जा सकता है: -

नाम : डॉ. वी. विजयालक्ष्मी, संयुक्त आयुक्त (प्रशा0/कार्मिक)  
फोन न0 : 9871048214  
लैंड लाइन न. : 011- 26532643

सं. आयुक्त (प्रशा0)

  
(अर.एस.शर्मा) 12/6/20  
अनुभाग अधिकारी (प्रशा0-1)

संयुक्त आयुक्त (प्रशा0/कार्मिक)

वी. विजयालक्ष्मी  
12/6/20



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मं.)

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)

18, Institutional Area, S.J.S. Marg, NewDelhi-110016

दूरभाष/Tel: 011-26521898 फ़ैक्स/Fax: 26514179

E-mail: kvs:estt.1@gmail.com

Website: www.kvsangathan.nic.in

F. 11-E-10DiWk(JC)/1/2019-Estt-I(Comp. No. 6138)

दिनांक: .05.2020

### कार्यालय आदेश

डॉ. शचिकांत, संयुक्त आयुक्त (कार्मिक) की अपर आयुक्त (शैक्षिक) के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप संयुक्त आयुक्त (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से नियमित संयुक्त आयुक्त (कार्मिक) के कार्यभार सम्भालने तक डॉ. बी. विजयालक्ष्मी, संयुक्त आयुक्त (प्रशा.) को सौंपा जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त आदेश संख्या 3-10/2004-केविस(स्था.1)/553-583 दिनांक 11.02.2020 द्वारा अपर आयुक्त (प्रशा.) के जिन कार्यों का प्रभार संयुक्त आयुक्त (कार्मिक) को दिया गया था उन कार्यों का निष्पादन भी, नियमित अपर आयुक्त (प्रशा.) के पदभार ग्रहण करने तक, संयुक्त आयुक्त (प्रशा.) द्वारा किया जाएगा।

यह सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

*Joint Vidyalya*  
*केविस (प्रशा.)*

*मुद्रा हस्ताक्षर*

*केविस*

*मीनाक्षी जैन*  
24/5

सहायक आयुक्त (स्था.1)

### वितरण:-

1. संयुक्त आयुक्त (प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.) नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.) नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, अपर आयुक्त (शैक्षिक/प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.) नई दिल्ली।
4. निजी सहायक, संयुक्त आयुक्त (कार्मिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.) नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, संयुक्त आयुक्त (प्रशि./वित्त/शैक्षिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.) नई दिल्ली।
6. कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.) नई दिल्ली।
7. सहायक आयुक्त (प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.) नई दिल्ली।
8. सहायक आयुक्त (वित्त), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.) नई दिल्ली।
9. अनुभाग अधिकारी (प्रशा-I/II/ई.डी.पी. सेल/वित्त/S&S/स्था.I/II/III), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.) नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।

*Admn-I*

*1*

*2*

*3*

*6*

*7*

*8*

*Admn-II*

*1*

*2*

*3*

*7*